न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 69/2009

वादी :-	बनाम	प्रतिवादीगण :-
1. बुधाराम पुत्र धन्नाराम		1. चम्पालाल पुत्र मांगीलाल
2. रुपाराम पुत्र धन्नाराम		2. आईदान पुत्र मांगीलाल
3. देवाराम पुत्र धन्नाराम		3. नेमीचन्द पुत्र मांगीलाल
जातियान राव निवासी लांम्बिया		4. सिकारराम पुत्र मांगीलाल
तहसील जैतारण जिला पाली राज		5. श्यामलाल पुत्र मांगीलाल
		6. रेंवतराम पुत्र मांगीलाल
		जाति राव निवासीगण लाम्बियां
		तहसील जैतारण जिला पाली

राजस्व वाद स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू:.16/04/2009

उपस्थितः. 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री करणीदान चारण, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः 15/07/2015

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध प्रतिवादी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि राजस्व मौजा-लाम्बिया, तहसील-जैतारण में वादीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की जमीन निम्न विवरण की आई हुई है। ख.नं. 987,989,992 कुल खसरा 3 कुल रकबा 23-14 बीघा किस्म चा.सो., गै.मु.बेरा उक्त वर्णित खसरा नम्बरान की आराजी वादीगणकी पैतृक व पुश्तैनी हैं। मौके पर वादीगण का ही कब्जा व काश्त हैं। राजस्व रेकर्ड में आराजी वादीगण के माता बिदामी जोजे धन्ना जी राव जो कि वादीगण की सगी माता जी है के नाम दर्ज हैं। उक्त आराजी वादीगण के माता जी के नाम जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख के खरीदसुदा हैं एवं इसी मापिक वादीगण के माता जी के नाम वर्तमान में भी दर्ज हैं। वादीगण की मात जी का देहान्त का दिनांक 14.02.2007 को हो चुका हैं मृत्यु प्रमाण पत्र की नकल इस वाद पत्र के साथ पेश की जा रही हैं। वादीगण अपनी माता जी के उत्तराधिकारी हैं। इस आराजी को वाद में विवादित आराजी से जाना जायेगा। प्रतिवादीगण इस विवादित आराजी से कोई संबध नहीं रखते हैं एवं पूर्ण रुप से अजनबी व्यक्ति हैं। जिनका इस विवादित आराजी पर न तो कोई हक व अधिकार हैं। न ही कोई कब्जा व काश्त हैं। वादीगण की उक्त आराजी गांव की आबादी के पास आई हुई होने से इसकी कीमते ज्यादा बढ हुई हैं व आराजी बहुत ही उपयोगी हैं। प्रतिवादीगण वादीगण के गांव के ही रहवासी है, जो सभी बदमाश प्रवृति के व्यक्ति हैं। जो संख्याबल में ज्यांदा हैं। वे वादीगण की इस आराजी पर जबरदस्ती लाठी लकडी के बल पर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं तथा आराजी के चारों तरफ खडे अग्रेजी बबूल के पेडों को भी व इसके अन्दर खडे 5 नीम के पेड, 6 देशी बबूल के पेडों आदि को जबरदस्ती काटकर अपने प्लॉट बनाने को आमादा हैं। उक्त कृत्य व कानून हाथ में लेकर के जबरदस्ती करना चाहते हैं। दिनांक 10.04.2009 को प्रतिवादीगण सभी ने एक होकर वादीगण को एलानिया धमकी दी कि वे जल्दी ही उनके हक हिस्से की जमीन से वादीगण को बेदखल कर जबरदस्ती कब्जा जमायेगें एवं प्लॉट काटेगें। तुम्हें जो करना है वो कर लेना। इस पर वादीगण ने गांव में समझाईश का प्रयास भी किया। लेकिन प्रतिवादीगण नहीं मान रहें हैं। जबरदस्ती

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

संख्या व ताकत के बल पर वादीगण को इस विवादित आराजी से बेदखल कर अपना अवैध रुप से कब्जा जमाना चाहते हैं। अगर वे ऐसा दुष्कृत्य करने में सफल हुये तो वादीगण अपनी साम्पैतिक आराजी से हमेशा के लिये वंचित हो जायेगें एवं वादीगणको अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नहीं हो सकेगी। ऐसी परिस्थितियों में वादीगण प्रतिवादीगण के ऐसे दुष्कृत्य का विरोध करेगें। जिससे विवाद बढेगा व मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी। प्रतिवादीगण को ऐसा अवैधानिक कृत्य करने व वादीगण के कब्जे व काश्त से दखल दाजी करने से रोके जाने बाबत वादीगण के पास यह वाद पत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वाद पत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश हैं। बिनाय वाद दिनांक 10/04/2009 को प्रतिवादीगण सभी द्वारा वादीगण की कब्जे काश्त की आराजी में जबरदस्ती हस्तक्षेप करने व वादीगण को बेदखल करने की एलानिया धमकी देने पर बमुकाम लाम्बियां तहसील जैतारण में पैदा हुआ हैं जो अन्दर म्याद व श्रीमान के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार में हैं।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मनस तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से वकालतनामा पेश हुआ और जबाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली हैं। प्रतिवादी की ओर से जबाब पेश किया गया कि वादी द्वारा प्रतिवादीगण के पक्ष में बेचाननामा खसरा नम्बर 989 रकबा 18-03 बीघा में से 1/18वां हिस्सा जरिए रजिस्ट्री दिनांक 18/05/1985 के कर दिया था। इस जमीन पर हम काबिज हैं। प्रतिवादीगण की खरीदसुदा जमीन को छोड़कर डिक्री पारित करावें।

पत्रावली राजस्व शिविर में पेश हुई। दस्तावेज एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण की माता बिदामी देवी द्वारा बेचान किया हुआ हैं और बिदामीदेवी का देहान्त दिनांक 14/02/07 को होने से वादीगण ही इसके एक मात्र खातेदार काश्तकार हैं। इसलिए वादीगण के कब्जे काश्त में दखल करने से जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के रोकना उचित समझते हैं। चूँकि वादीगण की माता ने अपने जीवन काल में ही अपने हिस्से की जमीन में से 1/18वां हिस्सा प्रतिवादीगण को बेचान कर दिया था। प्रतिवादीगण को 1/18 वां हिस्से के अलावा अन्य भूमि पर काश्त करने से रोकना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि राजस्व मौजा-लाम्बिया, तहसील-जैतारण में वादीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की जमीन निम्न विवरण की आई हुई है। ख.नं. 987,989,992 कुल खसरा 3 कुल रकबा 23-14 बीघा किस्म चा.सो., गै.मु.बेरा में 1/18वां हिस्सा छोड़कर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं और शेष भूमि खसरा नम्बर 989 में 1/18वां हिस्सा जो प्रतिवादीगण की क्रय सुदा भूमि हैं। उस पर प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तदनुसार प्रतिवादीगण को वादीगण के कब्जे काश्त में दखल करने से जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता हैं। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला:पाली (राज0)

निर्णय आज दिनांक 15/07/2015 को राजस्व लोक अदालत आयोजित शिविर -लाम्बिया में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला:पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

राज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

वादी :- बनाम प्रतिवादीगण :-

1. बुधाराम पुत्र धन्नाराम
2. रुपाराम पुत्र धन्नाराम
3. देवाराम पुत्र धन्नाराम
   जातियान राव निवासी लांम्बिया
   तहसील जैतारण जिला पाली राज

1. चम्पालाल पुत्र मांगीलाल
2. आईदान पुत्र मांगीलाल
3. नेमीचन्द पुत्र मांगीलाल
4. सिकारराम पुत्र मांगीलाल
5. श्यामलाल पुत्र मांगीलाल
6. रेंवतराम पुत्र मांगीलाल
   जाति राव निवासीगण लाम्बियां
   तहसील जैतारण जिला पाली

राजस्व वाद स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 0188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 मु0न0 :रा0वा0 स0:69/2009

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु .....-..... व हाजरी श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्धई व श्री करणीदान चारण, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि राजस्व मौजा-लाम्बिया, तहसील-जैतारण में वादीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की जमीन निम्न विवरण की आई हुई है। ख.नं. 987,989,992 कुल खसरा 3 कुल रकबा 23-14 बीघा किस्म चा.सो., गै.मु.बेरा में 1/18वां हिस्सा छोड़कर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं और शेष भूमि खसरा नम्बर 989 में 1/18वां हिस्सा जो प्रतिवादीगण की क्रय सुदा भूमि हैं। उस पर प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तदनुसार प्रतिवादीगण को वादीगण के कब्जे काश्त में दखल करने से जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज ....-....मुबलिक....-....बाबत...-...खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक ...-....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 15/07/2015 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

मुद्धई	रुपये	पैसे	मुद्धायलाह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	०१	००	स्टाम्प वकालतनामा	०१	००
स्टाम्प वकालतनामा	०१	००	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	०१	००	महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	०१	००	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः-	०१	००	मिजानः-	०१	००

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner